राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या –177 / 2024
अन्तर्गत
अपील संख्या–308 / 2024 एवं 2269 / 2024

ममता चौहान

–प्रार्थी–अपीलार्थी

बनाम

1. श्री कृष्ण कुमार, प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, सचिवालय, जयपुर।
2. श्री आशिष मोदी, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. श्री आर.एस. यादव, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
4. श्रीमती गायत्री मीणा, प्रधानाचार्य, श्रीमती निर्मला देवी Dangayach राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बस्सी, जिला जयपुर।

–अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 05.11.2024

उपस्थित :–

प्रार्थी–अपीलार्थी की ओर से : श्री धर्मचन्द जैन, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. प्रार्थी / अपीलार्थी ने इस अवमानना याचिका में यह निवेदन किया है कि इस अधिकरण के द्वारा अपील संख्या 308 / 2024 में प्रस्तुत रिव्यू याचिका प्रार्थना पत्र संख्या 16 / 2024 की सुनवाई करने के पश्चात आदेश दिनांक 16.05.2024 पारित किया गया था, जिसमें अपीलार्थी को 60 दिवस का असाधारण अवकाश स्वीकृत किये जाने के संबंध में निर्देश दिये थे। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी को 60 दिवस का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा चुका है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य अपील संख्या 2269 / 2024 में अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 22.07.2024 पारित किया गया था, जिसमें निम्न प्रकार से आदेश दिये थे :–

> ''अतः प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा अगर नये सिरे से प्रत्यर्थी विभाग को चाईल्ड केयर लिव के लिये आवेदन किया जाता है तो प्रत्यर्थी विभाग सहानुभूतिपूर्वक अपीलार्थी के आवेदन पर विचार कर कार्यवाही करेगें। इस आदेश के साथ ही इस अपील का निस्तारण किया जाता है।''

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि उपरोक्त आदेश को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी ने 118 दिवस के चाईल्ड केयर लीव की स्वीकृति दिये जाने का प्रार्थना पत्र दिनांक 23.07.2024 प्रस्तुत किया था, जिस प्रार्थना पत्र पर अपीलार्थी को केवलमात्र 35 दिवस का ही अवकाश स्वीकृत किया गया है। ऐसे में अपीलार्थी को आवेदित सम्पूर्ण अवधि 118 दिवस का अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया है। ऐसे में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अधिकरण के आदेशों की अवमानना की गयी है।

3. अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

4. हम पाते हैं कि इस अधिकरण ने जो आदेश पारित किया है, उसमें प्रत्यर्थी विभाग को केवल चाईल्ड केयर लिव के आवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। अधिकरण के आदेश में अपीलार्थी को सम्पूर्ण आवेदित अवधि का ही अवकाश स्वीकृत करने हेतु कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को कम अवधि का अवकाश स्वीकृत किया गया है तो उससे अधिकरण के आदेशों की अवमानना होना नहीं माना जा सकता है। अतः हम प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत अवमानना याचिका में अधिकरण के आदेशों की अवमानना किया जाना नहीं पाते हैं। अतः प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए इस अवमानना याचिका में प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)